कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक जी– 1337 /22–17 , दिनांक,लखनऊ,अप्रैल 21 ,2015.

कार्यालय आदेश

विभागीय पौधालयों में पौधों की मॉनिटरिंग हेतु प्रोटोकाल

पौधशाला की प्रत्येक पौध, वृक्षारोपण की सफलता में अपना महत्व रखती है एवं उचित प्रबंधन द्वारा ही वृक्षारोपण हेतु उच्च कोटि एवं उच्च गुणवत्ता पूर्ण पौध उपलब्ध करायी जा सकती है। विभागीय पौधालयों में उगायी जा रही पौध की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु निम्न प्रकार से मानिटरिंग प्रोटोकाल निर्धारण हेतु संस्तुति की जाती है:–

1– विभागीय पौधशाला ऐसे स्थान पर हो जिसमें वर्षा काल में भी पौधों के ढुलान आदि में बाधा न हो एवं जिसके लिये समुचित प्रबंध कर लिये गये हों। पौधशाला की भूमि समतल आयताकार एवं छोटे–छोटे आयताकार प्लाट में विभक्त हो। प्लाटिंग के साथ–साथ मार्ग तथा जल निकास नाली अवश्य बनायी जाय। प्रत्येक प्लाट में 10 मीटर लम्बाई एवं 1 मीटर चौड़ाई की नर्सरी क्यारियॉं बनायी जायें।

2– पौधशाला में मुख्य मार्ग व अन्य छोटे मार्गों के अतिरिक्त प्रत्येक प्लाट तक निरीक्षण मार्ग की व्यवस्था की गयी हो। पौधों की सुरक्षा हेतु आर0सी0सी0 पिलर के साथ तारबाड़ की व्यवस्था की जाय।

3– जिन पौधों का रोपण 01 वर्ष से कम आयु में किया जाना है उन्हें थैलों में ही तैयार किया जाय तथा 01 वर्ष से अधिक आयु की आवश्यकता वाले पौधों का प्रतिरोपण क्यारियों में किया जाय अथवा बड़ी थैलियों में किया जाए। 8 से 12 फीट की पौध उगाने हेतु केवल बड़े थैलों का ही प्रयोग किया जाए।

4– थैली में पौध की आवश्यकतानुसार सिंचाई, शिफ्टिंग, ग्रेडिंग व निराई की गयी हो पौधों को बढ़ने के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध हो। अतः पौधों को उनकी ऊँचाई के अनुसार पौधशाला में एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट किया गया हो तथा पॉलीथीन थैली के बाहर निकली जड़ों को तेज चाकू अथवा कैंची से काटा जाय।

5– पौधों की अच्छी एवं उत्तरोत्तर वृद्धि हेतु प्रारम्भिक दशा में पौधों का सावधानी पूर्वक प्रूनिंग करना अति आवश्यक है। पुराने पौधों का प्रूनिंग कार्य माह दिसम्बर, जनवरी में ही किया जाय उसके उपरान्त वर्षा ऋतु के पूर्व भी पिण्डी खुदान के पहले प्रूनिंग अवश्य की गयी हो। प्रूनिंग कार्य तेज सीजर से किया गया हो एवं सैलिक्स व पापुलर को छोड़कर किसी भी प्रजाति के पौधों की प्रथम वर्ष में प्रूनिंग कदापि न की जाये। प्रूनिंग नीचे की ओर से पौधे की ऊंचाई के एक तिहाई भाग तक ही की जाय।

6– पौधशाला प्रबन्ध एक समयबद्ध कार्यक्रम है। प्रभागों के अग्रिम मृदा कार्य के लक्ष्य, बीटिंगअप हेतु आवश्यक प्रजातिवार पौध, आगामी वर्षो में रोपण हेतु बड़े आकार की पौध, ग्रीन बेल्ट वृक्षारोपण हेतु आवश्यक 8 से 12 फीट की पौध एवं जनसामान्य के उपयोग हेतु पौध की आवश्यकता अनुसार लक्ष्य निर्धारण कर एक वर्षीय एक्शन प्लान प्रभागीय स्तर से अनुमोदित कराकर नर्सरी में संदर्भ हेतु उपलब्ध करायी जाय। पौधशाला एक्शन प्लान प्रत्येक दशा में 30 सितम्बर तक पूर्ण कर लिया जाए ताकि माह अक्टूबर से समस्त पौधालय कार्य प्रारम्भ कर दिये जाए।

पौधशालाओं में 8 फीट से 12 फीट ऊँचाई की पौध उगाने हेतु प्रजातियों का चयन सावधानीपूर्वक करना चाहिए ग्रीन बेल्ट वृक्षारोपण हेतु नीम, बरगद, पीपल, पाकड़, शीशम, अमलतास, गोल्डमोहर, जकरन्डा, सिरस, कंजी, आम, छितवन, मौलश्री, कचनार, इमली, बेल, महुआ, कनकचम्पा आदि प्रजातियों के उगाने में वरीयता दी जाए।

पौधालय में पौध उगाने के लिए समय से बीजों का प्रबन्धन कर लेना चाहिए। सामान्यतः बीजों के पकने का समय ही उनके अंकुरण के लिए श्रेयस्कर होता है। बीजों के पक कर तैयार होने की समय सारिणी समय–समय पर वन वर्धनिक द्वारा जारी की जाती है तथा प्रबन्ध योजना में भी इसका उल्लेख रहता है। उपरोक्तानुसार बीजों की आवश्यकता का आकलन प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा किया जाएगा तथा इसकी मॉग संबंधित वन वर्धनिक को प्रस्तुत कर दी जाएगी।

7– पौधालय में उपलब्ध पौध की उपलब्धता प्रजातिवार व ऊँचाई (वर्ष) के साथ पौध के स्टाक बोर्ड पर पौधालय के मुख्य स्थल पर अंकित होनी चाहिये ताकि किसी भी समय पौध की उपलब्धता की जानकारी जनसामान्य व निरीक्षणकर्ता अधिकारी को मिल सके।

8– प्रत्येक पौधालय के सम्मुख एक पौधालय विक्रय पटल निर्धारित होना चाहिये जिसपर क्रेतागण आदि को सभी सुविधायें व जानकारी प्रदान की जा सके। पौधशाला के बोर्ड पर पौधशाला का नाम, स्थल, सम्पर्क सूत्र आदि अंकित कर विक्रय सूची (यथा संशोधित) भी विक्रय पटल पर चस्पा की जाये।

9– वृक्षारोपण कार्य हेतु उत्तरदायित्व निर्धारण तालिका:–

(शासनादेश संख्या–2292/14–5–2001–15(1)/96, दिनांक 22–01–2002)

क्र. सं.	विवरण	वनरक्षक	उपराजिक/ वन विद	वन क्षेत्राधिकारी	सहायक वन संरक्षक	प्रभागीय वनाधिकारी	वन संरक्षक
1	2	3	4	5	6	7	8
1 –	पौध उगाने हेतु पौधशाला कार्यक्रम तैयार करना	–	–	पूर्ण दायित्व	पूर्ण निरीक्षण	अनुमोदन	अनुश्रवण
2 –	उच्च गुणवत्ता की पौध तैयार करना	–	–	पूर्ण दायित्व	पूर्ण निरीक्षण	पूर्ण अनुश्रवण	कम से कम 10 प्रतिशत अनुश्रवण/निरीक्षण

E:\A.K.SAXENA\Monetring of nursari.docx

10— प्रमुख वन संरक्षक, की पत्र संख्या—प0—368/20—13 दिनांक 28—08—1999

जॉच सत्यापन हेतु मद

क्र. सं.	स्तर	पौधालय
1	2	3
1—	मुख्य वन संरक्षक	10 प्रतिशत
2—	वन संरक्षक	25 प्रतिशत
3—	उप वन संरक्षक	75 प्रतिशत
4—	सहायक वन संरक्षक	100 प्रतिशत

उपरोक्तानुसार शत्—प्रतिशत सत्यापन कार्य के अतिरिक्त समस्त अधिकारियों द्वारा निम्न प्रकार पौधशालाओं का निरीक्षण किया जाएगा:—

1—	मुख्य वन संरक्षक	—3 माह में प्रत्येक प्रभाग की एक पौधशाला।
2—	वन संरक्षक	— माह में प्रत्येक प्रभाग की एक पौधशाला।
3—	उप वन संरक्षक	—2 माह में प्रभाग की समस्त पौधशालाएं।
4—	सहायक वन संरक्षक	—2 माह में प्रभाग की समस्त पौधशालाएं।

11— पौधशाला अभिलेख—प्रायः अधिकारियों द्वारा पौधशाला के अभिलेखों के रख—रखाव पर कम ध्यान दिया जाता है। निरीक्षणकर्ता अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे निरीक्षण के समय पौधशाला अभिलेखों का भी निरीक्षण करेंगे तथा अपनी निरीक्षण टिप्पणी अंकित करेंगे। पौधशाला पंजी के रख—रखाव का पूर्ण दायित्व वन क्षेत्राधिकारी का होगा।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। यह आदेश प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0 लखनऊ के अनुमोदन से जारी किये जा रहे हैं।

21/4/11

(एस0 के0 शर्मा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक,
सामाजिक एवं कृषि वानिकी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

E:\A.K SAXENA\Monetring of narsari.docx